(2)

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या-------/XVII(4)/2018-5(02)/12
देहरादून, दिनांक 20 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मानदेय सेवा उपरान्त उनके द्वारा की गई सेवाओं का प्रतिफल दिये जाने के उद्देश्य से "आंगनबाड़ी कर्मी सुरक्षा योजना" का प्रारम्भ करते हुए शासनादेश संख्या-543/XVII(4)/2006/2012TC दिनांक 09.03.2016 द्वारा "आंगनबाड़ी कल्याण कोष" की स्थापना की गई है तथा उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 में, संशोधन करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-163/XVII(4)/2006/2012TC दिनांक 24.01.2017 निर्गत किया गया है। अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 के प्रस्तर संख्या-5 (वित्तीय लाभ दिये जाने की प्रक्रिया) के अंतिम पैरा में निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं को भी पढ़ा जायः-

1. यदि आंगनवाड़ी कर्मी अपने पद से 10 वर्ष तक की संतोषजनक मानदेय सेवा पूर्ण होने से पूर्व स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देती है तो उसके द्वारा आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष में किये गये कुल अंशदान एवं उसके ब्याज की धनराशि की गणना कर (बैंक द्वारा तत्कालीन दर से की जायेगी) एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाए।
2. यदि आंगनवाड़ी कर्मी अपने पद पर 10 वर्ष तक की संतोषजनक मानदेय सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्वेच्छा से त्यागपत्र देती है तो उसको अन्य सेवानिवृत्त होने वाली आंगनवाड़ी कर्मी के समान नियमानुसार एक मुश्त परिपक्वता धनराशि से लाभान्वित किया जाए।
3. आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ होने की अवधि अप्रैल, 2016 या उसके बाद सेवा प्रारम्भ करने की तिथि (नवीन आंगनवाड़ी कर्मी हेतु) से सेवा की अंतिम तिथि तक आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा अंशदान की धनराशि अनिवार्य रूप से जमा की जाए तथा इस योजना में समस्त आंगनवाड़ी कर्मियों को आच्छादित किया जाए।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, एवं अन्य शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1114 (1)/XVII(4)/2018-5(2)2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक/उपाध्यक्ष, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
8. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-1/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त नियंत्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. राज्य परियोजना अधिकारी, महि0सश0 एवं बा0वि0वि0 समिति, उत्तराखण्ड।
14. ऑडिटर्स, महि0सश0 एवं बा0वि0वि0 समिति, उत्तराखण्ड।
15. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।